बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- 222228,
ग्रा0वि0- 6 अभि- 01-01/2015

पटना, दिनांक 26/02/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी</u>
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के नियमित कर्मियों को षष्टम पुनरीक्षित वेतनमान के लाभ की स्वीकृति के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 214184 दिनांक 29.12.2014

महाशय,

निदशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत पत्र संख्या 214184 दिनांक 29.12.2014 के संदर्भ में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों से प्राप्त अभ्यावेदन तथा कुछेक उप विकास आयुक्तों से प्राप्त पत्रों पर विचार किया गया ।

विचारोपरान्त प्रासंगिक पत्र संख्या 214184 दिनांक 29.12.2014 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में नियुक्त कर्मियों को वित्त विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 में निहित शर्त्तों के अधीन दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव षष्टम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी जाती है, जिसका आर्थिक लाभ दिनांक 01.04.2007 के प्रभाव से देय होगा एवं दिनांक 01.04.2007 से बकाए का भुगतान पॉच समान वार्षिक किस्तो में किया जायेगा । स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान का स्वरूप निम्न प्रकार है :-

क्र0	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान	ग्रेड पे
01	अधीक्षक	5500-9000	9300-31800 (PB-2)	4600
02	प्रधान सहायक / प्रधान लिपिक	5000-8000 4500-7000	9300-31800 (PB-2)	4200
03	लिपिक -सह- टंकक / लेखापाल / लेखा लिपिक / सहायक / आशुलिपिक -सह- टंकक	4000-6000	5200-20200 (PB-1)	2400
04	चालक	3050-4590	5200-20200 (PB-1)	1900
05	परिचारी / चौकीदार आदि समूह 'घ' के पद	2550-3200	Non- Matric- 4440-7440 (1S) Matric- 5200-20200 (PB-1)	1650 1800

जिन अभिकरणों में उक्त स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान स्वीकृत किया गया है, वे इस स्वीकृत वेतनमान के आधार पर सुधार कर लेंगे तथा अधिक भुगतान की राशि संबंधित कर्मियों से समायोजित करा लेंगे ।

विश्वासभाजन

(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

Letter- 3